न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

1–अपील संख्या : 10/2012 विस्फोटक अधिनियम् 1884

अनवान : भंवरलाल पुत्र श्री नारायण दास जाति व्यास निवासी चाय पट्टी बड़ा बाजार, बीकानेर ।

––––– अपीलान्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर, बीकानेर

––––रेस्पोन्डेंट

2–अपील संख्या : 9/2012 विस्फोटक अधिनियम् 1884

अनवान : भंवरलाल पुत्र श्री नारायण दास जाति व्यास निवासी चाय पट्टी बड़ा बाजार, बीकानेर ।

––––– अपीलान्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर, बीकानेर ।

––––– रेस्पोन्डेंट

3–अपील संख्या : 8/2012 विस्फोटक अधिनियम् 1884

अनवान : श्रीमती लीला देवी पत्नी श्री भंवरलाल व्यास निवासी बैदों का चौक, सब्जी मण्डी, बड़ा बाजार, बीकानेर

––––– अपीलान्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये जिला कलक्टर, बीकानेर ।

––––– रेस्पोन्डेंट

उपस्थित :–	श्री सोमदत्त पुरोहित	अभिभाषक अपीलांट
	श्री गजेन्द्रसिंह राठौड़	सहायक लोक अभियोजक, बीकानेर राज्य पक्ष

निर्णय

दिनांक : 8.5.2019

1. यह तीनों अपीलें विस्फोटक अधिनियम् 1884 की धारा 6 एफ एवं विस्फोटक नियम 2008 के नियम् 121(1) के अन्तर्गत न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31–10–2012 के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है, जिसके द्वारा

संभागीय आयुक्त बीकानेर

अपीलान्ट्स का फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र संख्या क्रमशः 7/2007, 13/2007, 1/2011 निरस्त किया गया है। उक्त तीनों अपीलों के तथ्य समान होने, एक ही परिवार की होने से इन्हें एक ही निर्णीय से निर्णीत किया जाता है ।

2. तीनों अपीलों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी भंवरलाल पुत्र नारायण दास व्यास, निवासी चाय पट्टी, बड़ा बाजार, बीकानेर ने सर्व प्रथम आतिशबाजी (पटाखे) क्रय एवं विक्रय के लिए स्थाई अनुज्ञा पत्र सं. 7/2007 जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर से जारी करवाया । तत्पश्चात इन्हीं व्यक्ति के द्वारा फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र सं0 13/2007 भंवरलाल पुत्र हरिनाराण, बैदों का चौक, बीकानेर के नाम से जारी करवाया तथा वर्ष 2011 में इन्हीं व्यक्ति की पत्नी श्रीमती लीला देवी पत्नी भंवरलाल व्यास निवासी बैदों का चौक के नाम से फायर वर्क्स (पटाखे) क्रय–विक्रय के लिए स्थाई अनुज्ञा पत्र संख्या 1/2011 जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर से जारी करवाया गया। अपीलार्थी श्री भंवरलाल व्यास के नाम से जारी शुदा दोनों फायर वर्क्स (पटाखे) विक्रय का अनुज्ञा पत्र 7/2007, 13/2007 दिनांक 31.3.13 तक तथा पत्नी लीलादेवी के नाम से जारी शुदा अनुज्ञा पत्र स0 1/2011 दिनांक 31.3.2012 तकं जिला मजिस्ट्रेट,बीकानेर से नवीनीकृत है । दिनांक 9.10.12 को रात्रि फड़बाजार, बीकानेर में पटाखों की दुकान में आग लगने की घटना को मध्यनजर रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा जिले के सभी आतिशबाजी स्थाई अनुज्ञापत्रों की सघन जांच हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेटों एवं पुलिस अधिकारियों के संयुक्त निरीक्षण दलों का गठन किया गया । संयुक्त निरीक्षण दल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार तंग गली, भारी भीड़ वाला क्षेत्र होने, फायर ब्रिगेड एम्बुलेश मौके पर नहीं पंहुचने आदि कारणों को मध्यनजर रखते हुए तथा अपीलान्ट्स द्वारा फायर वर्क्स एसोसियेशन की सहमति अनुसार अपनी फायर वकर्स (पटाखों की दुकान) अन्यत्र शिफ्ट करने की सहमति नहीं दिये जाने पर लोक सुरक्षा एवम् जन हित को मध्यनजर रखते हुए जिला मजिस्ट्रेटर, बीकानेर द्वारा विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 6 ई एवं विस्फोटक नियम, 2008 के नियम 118 के अन्तर्गत अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.12 पारित कर अपीलार्थीगण के नाम जारी शुदा तीनों फायर वर्क्स (पटाखे विक्रय) का अनुज्ञा पत्र संख्या 7/2007, 13/2007 एवं 1/2001 निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध अपीलान्ट्स द्वारा विस्फोटक अधिनियम की धारा 6 एफ एवं विस्फोटक नियम 121(1) के तहत यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. तीनों अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा विस्फोटक अधिनियम की धारा 6 ई एवम विस्फोटक नियम 2008 के नियम 118 के अन्तर्गत अपीलान्ट्स का लाइसेंस निरस्त किया गया है, जिसमें के अन्तर्गत अपीलान्ट्स को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया तथा पर्याप्त आधार नहीं होते हुए अपीलार्थीगण के नाम से जारी फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र सं० 7/2007, 13/2007 एवं 1/2011 निरस्त किये गये हैं । अतः अपील्स अपीलान्ट्स स्वीकार की जावे अथवा तत्समय अनुज्ञा पत्र को नये स्थान पर शिफ्‌ट करने हेतु अपीलान्ट को पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया एवम अपीलान्ट का फायरवर्क्स अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया है अतः अपीलान्ट का लाइसेंस सं० 7/2007, 13/2007 एवं 1/2011 जिला मजिस्ट्रेट स्तर से रिव्यु किया जाकर विस्फोटक नियम 2008 के नियम 109 के अन्तर्गत प्रतिष्ठान को अन्यत्र शिफ्‌ट करने हेतु स्थान परिवर्तन की वैकल्पिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर को प्रतिप्रेषित किया जावे । अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथन के समर्थन में रिट–सी नं० 11415/2018 अनवान साबी अली बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में पारित निर्णय दिनांक 3.5.18 अवलोकनीय बताया ।

5. राज्य पक्ष की ओर से श्री गजेन्द्रसिंह सहायक लोक अभियोजक ने बहस करते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा अपीलान्ट्स को अपने प्रतिष्ठान को अन्यत्र शिफ्‌ट करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया, किन्तु उनके द्वारा नये स्थान हेतु कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया । जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा लोक सुरक्षा एवं जनहित को मध्यनजर रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। इसके अलावा प्रकरण में यह तथ्य भी ध्यान दिये जाने योग्य है कि अपीलार्थी भंवरलाल व्यास द्वारा अपनी वल्दियत में परिवर्तन कर अलग–अलग फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र सं० 7/2007 एवं 13/2007 जारी करवाये गये तथा वर्ष 2011 में अपनी पत्नी लीलादेवी के नाम से फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र सं० 1/2011 जारी करवाया गया है । अतः तीनों अपील अपीलान्ट्स निरस्त फरमाई जावे ।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए तीनों अपीलों के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । प्रकरण अनुसार अपीलार्थी भंवरलाल पुत्र नारायण दास व्यास, निवासी चाय पट्‌टी, बड़ा बाजार, बीकानेर ने सर्व प्रथम आतिशबाजी (पटाखे) क्रय एवं विक्रय के लिए स्थाई अनुज्ञा पत्र सं. 7/2007 जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर से जारी करवाया । तत्पश्चात इन्हीं व्यक्ति के द्वारा फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र सं० 13/2007 भंवरलाल पुत्र हरिनाराण, बैदों का चौक, बीकानेर के नाम से जारी करवाया तथा वर्ष 2011 में इन्हीं व्यक्ति की पत्नी श्रीमती लीला देवी पत्नी भंवरलाल

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

व्यास निवासी बैदों का चौक के नाम से फायर वर्क्स (पटाखे) क्रय–विक्रय के लिए स्थाई अनुज्ञा पत्र संख्या 1/2011 जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर से जारी करवाया गया है। श्री भंवरलाल व्यास द्वारा अपनी वल्दियत में परिवर्तन किया जाकर दो फायर वर्क्स के अनुज्ञा पत्र प्राप्त किये गये हैं, जिसका रिकॉर्ड में कोई उचित कारण दृष्टिगत नहीं होता है । अपीलान्ट्स का कथन है कि अनुज्ञा पत्र को नये स्थान पर शिफ्ट करने हेतु अपीलान्ट्स को पर्याप्त समय नहीं दिया गया एवम अपीलान्ट्स का फायरवर्क्स अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया गया है, अतः नियम 109 के अन्तर्गत वैकल्पिक स्थान हेतु प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट को प्रतिप्रेषित किया जावे । हम अभिभाषक अपीलान्ट्स के उक्त कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा अपीलान्ट्स के नाम से जारी फायर वर्क्स अनुज्ञापत्र सं० 7/2007, 13/2007, 1/2011 से सम्बन्धित पटाखों की दुकानों का मौके पर निरीक्षण किया गया । उक्त निरीक्षण रिपोर्ट में पटाखों की दुकान तंग गली, भारी भीड़ वाला क्षेत्र में होने, फायर बिग्रेड एवं एम्बुलेंस मौके पर नहीं पंहुचने, फायर फाइटिंग के उपकरण नहीं पाये जाने तथा अनुज्ञा पत्रों की शर्तो के अनुसार रिकॉर्ड का संधारण नहीं करने पर जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र धारक को नोटिस दिनांक 18–10–2012 जारी कर 3 दिवस का समय दिया गया, जिसका प्रत्युत्तर अपीलान्ट्स द्वारा दिनांक 23.10.12 एवं 25.10.12 को प्रस्तुत किया गया । प्राप्त जवाब एवं निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन कर जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा फायर वर्क्स एसोसियेशन के साथ दिनांक 25.10.12 को सांय 5.30 बजे बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति बनी कि जो दुकानें अत्यधिक भीड़भाड़ वाले स्थान पर, जहां फायर ब्रिगेड–एम्बुलेंस आसानी से नहीं पहुंच सकती ऐसे क्षेत्रों में स्थित अनुज्ञापत्रों को वर्तमान स्थान से नये स्थान पर शिफ्ट करने हेतु दिनांक 29.10.12 को सांय 5.00 बजे तक का समय दिया गया था । परन्तु अपीलान्ट्स (अनुज्ञापत्रधारियों) द्वारा सहमति के अनुसार स्थान परिवर्तन के संबंध में दिनांक 29–10–2012 तक कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किये जाने पर लोक सुरक्षा तथा जनहित को मध्यनजर रखते हुए वर्तमान परिस्थिति एवं वर्तमान स्थान पर तीनों फायर वर्क्स अनुज्ञापत्र जारी रखना उचित नहीं समझते हुये जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा अपीलान्ट्स के पटाखों की दुकान का अनुज्ञा पत्र सं० 7/2007, 13/2007, 1/2011 अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–10–2012 द्वारा निरस्त किया गया है ।

7. न्यायालय के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स को स्थान परिवर्तन हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था । जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपीलान्ट्स को पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात लोक सुरक्षा तथा जनहित में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है । हम जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं । अतः जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर द्वारा पारित किया अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.12 यथावत रखते हुए तीनों अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाती है । अपीलार्थी चाहे तो स्थान परिवर्तन के आधार पर नये सिरे से जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

8. तद्नुसार तीनों अपील अपीलान्ट्स निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तकमील, दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 08–5–2019 लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीना)
सम्भागीय आयुक्त,
बीकानेर